न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर

उपस्थित–संध्या चौधरी, एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP6161)

****

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–613/2026

UPST010019212026

अंकित कुमार पुत्र छंगू कोरी, निवासी ग्राम रामगंज, थाना संग्रामपुर, जनपद अमेठी।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0–39/2026
अन्तर्गत धारा–331(4,)305,317(2) बी0एन0एस0
थाना–अमेठी, जनपद–अमेठी।

दिनांक 11.03.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रार्थी/अभियुक्त अंकित कुमार के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्राप्त करने हेतु योजित किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षेप में कथानक यह है कि दिनांक 10.02.2026 की रात में अज्ञात चोरों द्वारा प्रार्थी के खेत में बने कमरे का ताला तोड़ कर कमरे के अन्दर लगे नलकूप के इंजन को चुरा ले गये तथा अभी तक काफी तलाश किया किन्तु कुछ पता नहीं चला, जिसका इंजन संख्या 28438 एचपी0 रीगल कम्पनी का है।

सुना। जमानत प्रार्थना पत्र एवं सम्बन्धित पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है और उसे महज हैरान व परेशान करने के लिए थाना अमेठी की पुलिस द्वारा फर्जी व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त न तो जमानत प्रार्थनापत्र दिया गया है, न ही माननीय उच्च की खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित है। थाना हाजा की पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त की कथित गिरफ्तारी अन्तू रोड़ से संग्रामपुर जाने वाली मार्ग अंडरपास पर होना दिखया है, पुलिस ने अपने फर्द में कोई चक्षुदर्शी गवाह नहीं बनाया गया है। जबकि यहॉ पर काफी मात्रा में रिहायसी मकानात है व लोगों का आवागमन रहता है परन्तु गिरफ्तारी के समय का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी द्वारा अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त

जिला कारागार सुलतानपुर में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि यद्यपि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है किन्तु दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है। दिनांक 18.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस कर्मियों द्वारा अभियुक्त अंकित कुमार व अन्य सह–अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से नलकूप का इंजन संख्या 28438, 8 एचपी0 रीगल कम्पनी बरामद हुआ। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य उल्लिखित है कि वादी के खेत से नलकूप के इंजन संख्या 28438, 8 एचपी0 रीगल कम्पनी की चोरी कर लिया। फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त अंकित कुमार व अन्य सह–अभियुक्तगण के पास से नलकूप का इंजन बरामद होना कहा गया है परन्तु फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है। अभियुक्त पर आरोपित आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त दिनांक 18.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सह–अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। विवेचना के पश्चात् आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। गवाहों को डराये/धमकाये जाने की कोई युक्तियुक्त सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में वाद के गुण–दोष पर अन्य कोई टिप्पणी किए बगैर, अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

6. अभियुक्त अंकित कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

Sd/-

(संध्या चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 1, सुलतानपुर।
(J.O. Code- UP 6161)

11–03–2026

सत्येन्द्र कुमार
आशुलिपिक